न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

(64)

समक्ष–एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4073–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.8.11 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 66/अपील/08–09 एवं 68/08–09/अपील.

1– रामेश्वर दयाल पुत्र श्री रघुवर सिंह
2– लाखन सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह
3– जण्डेल सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह
4– हरतूम सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह
5– प्रेम पुत्री श्री बंकाजू
6– गणेश जू पुत्र श्री हल्के
7– शाकूलाल पुत्र श्री खेत सिंह
8– करन सिंह पुत्र श्री खेत सिंह
9– जगदीश सिंह पुत्र खेत सिंह
समस्त निवासी ग्राम बामौर कलां
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी
मध्य प्रदेश --- आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेश चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन
2– सुमित पुत्र श्री सुभाष चन्द्र जैन
3– सपना 4– शिल्पी पुत्रीगण श्री सुभाषचंद
5– निशा बेवा श्री सुभाष चन्द्र जैन
6– सतीश चंद 7– रमेश चंद पुत्रगण लक्ष्मीचंद
8– इन्द्रादेवी 9– किरण देवी 10– अनीता देवी
पुत्रीगण श्री लखमीचंद जैन
11– पोथीराम 12– गुलाब सिंह 13– वीरसिंह
पुत्रगण स्व0 श्री मेहरबान सिंह

14– कुसुम 15– रामदेवी 16– वासमती
पुत्रीगण स्व0 मेहरबान सिंह
17– जाहर सिंह 18– अच्छेलाल पुत्रगण गज्जू
19– घसीटा 20– दयाराम पुत्रगण चतुरा
समस्त निवासीगण ग्राम बामौरकला तहसील
खनियाधाना जिला शिवपुरी म0प्र0

---अनावेदकगण

आवेदकगण अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदकगण 11,12,13,17 एवं18 के
अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा
शेष अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 66/अपील/08–09 एवं 68/08–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 12.08.2011 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत (दोनों अपीलों में एक साथ आदेश पारित किया गया है) प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार खनियांधाना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण कमांक 16/06–07/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 22.7.09 एवं एक और आवेदन पत्र संहिता की धारा 178

के अन्तर्गत ग्राम बामौरकला स्थित भूमि सर्वे न0 52 रकवा 66.15 है0 के वटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय खनियांधाना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 17/06–07/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 22.7.09 से बंटवारा स्वीकार किया गया जिससे परिवेदित होकर अनावेदकगणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रकरण क्रमांक 66/08–09/अपील एवं 68/08–09/अपील पर दर्ज कर उसमे आदेश दिनांक 12.8.11 द्वारा आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रकरण म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के तहत उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश पारित करें, इससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त खाता क्रमांक 839 कुल किता 52 कुल रकवा 66.15 है0 के बंटवारा हेतु अनावेदकगण 1 से 4 के पिता सुभाषचन्द एवं 5 लगायत 10 की ओर से तहसील न्यायालय में अपीलार्थी क्रमांक–1 लगायत 6 एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 11 लगायत 16 के पिता मेहरबान सिंह एवं प्रत्यर्थी क्रमांक–17 लगायत 20 को अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बनाते हुये नायब तहसीलदार खनियांधाना के समक्ष आवेदन दिया जिस पर से प्रकरण क्रमांक 16/06–07/अ–27 पंजीबद्ध कर सर्व साधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया। विज्ञप्ति उपरांत हल्का पटवारी ने फर्द बंटवारा बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत की। तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.7.09 द्वारा कब्जा एवं

हिस्सानुसार बनाई गई फर्द बंटवारा के आधार पर संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा स्वीकृत किया गया तदनुसार राजस्व अभिलेख में उभयपक्षों का नाम दर्ज हो गया। उनके द्वारा अपनी बहस में आगे कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि खाता क्रमांक 841 कुल रकवा 10.43 है0 के बंटवारा हेतु प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 के पिता सुभाषचंन्द एवं 5 लगायत 10 की ओर से तहसील न्यायालय में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क्रमांक-11 लगायत 16 के पिता मेहरबान सिंह एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 17 लगायत 20 को अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बनाते हुये नायब तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष आवेदन दिया जिसे प्रकरण क्रमांक 17/06-07/अ-27 पंजीबद्ध कर सर्व साधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया। विज्ञप्ति उपरांत हल्का पटवारी ने फर्द बंटवारा बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत की। तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.7.09 द्वारा कब्जा एवं हिस्सानुसार बनाई गई फर्द बंटवारा के आधार पर संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा स्वीकृत किया गया तदनुसार राजस्व अभिलेख में उभयपक्षों का नाम दर्ज हो गया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलों में संयुक्त रूप से आदेश पर न्यायालय तहसील का वैद्य आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि का रकवा काफी बड़ा है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वर्षो से शामिलाती दर्ज चली आ रही है सभी पक्ष अपने अपने हिस्सानुसार आपसी सहमति एवं पूर्व के पंच बटवारा को अनुसार मौके पर काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे हैं। आवेदकगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि कृषि योग्य एवं उपजाउ

बनाई गई है एवं काफी धन एवं श्रम व्यय किया गया है एवं उस भूमि पर कुआ खोदकर पक्का कराया गया है। अनावेदकगण को जो भूमि पंच बटवारे में प्राप्त हुई थी वे उसी पर खेती करते चले आ रहे हैं। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी पिछोर का आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखा जावे।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण को बंटवारे में पथरीली एवं कम उपजाउ जमीन प्राप्त हुई है तथा अनावेदकगण की आपत्तियों का निराकरण भी नहीं किया गया है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वे नंबर में समान किस्म की भूमि दी जाना चाहिये थी जो नही दी गई हैं उनके द्वारा अपनी बहस में कहा है कि फर्दो का प्रकाशन संहिता 178 के नियमों के तहत कराना आवश्यक था जो नहीं किया गया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों के अनुसार सही है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं बिन्दुओं को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार के प्रकरण में पंचनामा पृष्ठ 31 पर संलग्न है जिस पर 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिसमें कोटवार नन्दलाल के भी हस्ताक्षर हैं तथा फर्द बटवारा की प्रति संलग्न है जिस पर नन्दलाल कोटवार के हस्ताक्षर हैं तथा फर्द बटवारा की पीछे पृष्ठ पर लेख किया है कि

कोई आपत्ति नहीं आई है। उसके बाद ही बंटवारा स्वीकार किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.11 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार खनियांधाना का प्रकरण क्रमांक 16/06–07/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 22.7.09 एवं प्रकरण क्रमांक 17/06–07/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 22.7.09 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर